रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2000/कार्तिक 9, 1922
No. 552] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2000/KARTIKA 9, 1922

## कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2000

**सा. का. नि. 842(अ).**—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36 क, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 के उपनियम (2) में "एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर" शब्दों के स्थान पर "चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रतिवर्ष की दर पर" शब्द रखे जाएंगे।

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों पर, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। तद्नुसार, नियम 8 के उपनियम (2) के उपबन्ध भूतलक्षी रूप से, अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से, संशोधित किए जा रहे हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा.सं. ए-11014/20/2000-ए.टी.]

आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :**—मूल नियम सा.का.नि. 930(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए—

(1) सा.का.नि. 52(अ) तारीख 29 जनवरी, 1991

(2) सा.का.नि. 46(अ) तारीख 31 जनवरी, 1994

(3) सा.का.नि. 660(अ) तारीख 21 सितंबर, 1995

(4) सा.का.नि. 528(अ) तारीख 27 अगस्त, 1998

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

### (Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2000

**G. S. R. 842(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In rule 8 of the Andhra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in sub-rule (2), for the words "rupees one thousand four hundred and fifty per annum", the words "rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum" shall be substituted.

### EXPLANATORY MEMORANDUM

On the recommendations of the Government of Andhra Pradesh, the Central Government decided to revise the pension of Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 1996. Accordingly, the provisions of sub-rule (2) of rule 8 are being amended from a retrospective date that is 1st January, 1996. It is certified that no one is being affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

[F.No. A-11014/20/2000-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

**Foot Note :**—The principal rules were notified vide number G. S. R. 930(E), dated the 26th October, 1989 and subsequently amended vide number :—

(1) G.S.R. 52(E), dated the 29th January, 1991.

(2) G.S.R. 46(E), dated the 31st January, 1994.

(3) G.S.R. 660(E), dated the 21st September, 1995.

(4) G.S.R. 528(E), dated the 27th August, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.